उपस्थित है/~~अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन~~
अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है/अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9-12-19
को पेश हो।

रीडर

9-12-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन~~
अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-1-2020
को पेश हो।

रीडर

10-1-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/
अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~
उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन~~
अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य
कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-2-2020
को पेश हो।

रीडर

3-2-2020 वकील वादी उप०। पुनः बहस सुनी गई। वास्ते
निर्णय पत्रावली दि० 10-2-2020 को पेश हो।

10-2-2020 वकील वादी उप०। भूमि ख० नं० 1821 रकबा 35 एयर
ग्राम रोकसी का वादी को सम्पूर्ण रकबे का खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया
गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से
कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
164/2006	29.8.2006	10-2-2020

कलुआ पुत्र श्यामलाल,कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1. सियाराम पुत्र कलुआ, कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/2. रामधन पुत्र कलुआ, कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/3. किस्तूरी पुत्री कलुआ, कुम्हार निवासी कुडगांव तहसील सपोटरा
1/4. छोटी पुत्री कलुआ, कुम्हार निवासी नयागांव तहसील बामनवास

——वादीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र परभाती,जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुरसिटी (मृतक)
1/1. मोहरबाई बेवा रामसहाय, जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/2. राजाराम पुत्ररामसहाय, जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/3. रत्तीराम पुत्ररामसहाय, जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/4. बलराम पुत्र रामसहाय, जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/5. माया पुत्री रामसहाय पत्नी सियाराम, जोगी नि0 खेडला तह0 सपोटरा
1/6. बतासी पुत्री रामसहाय पत्नी जगदीश, जोगी नि0 बाडोती तह0सपोटरा
2. रामदयाल पुत्र परभाती जोगी, निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी 3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि साबिक ख0नं0 716/5 रकबा 2 बीघा ग्राम टोकसी में स्थित रही है जिसके भू—प्रबन्ध में नवीन ख0नं0 1821 रकबा 35 एयर कायम किए गए हैं। मौके पर वादी का 2 बीघा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। भू—प्रबन्ध के दौरान वादी का 2 बीघा का रकबा कम कर मात्र ख0नं0 1821 रकबा 0.35 है0 कायम किया है जो साबिक के मुकाबले 15 एयर कम है। इसी प्रकार भू—प्रबन्ध कर्मचारियों ने वर्तमान ख0नं0 1821 में प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम गलत रूप से शामिल करते हुए उनके हक में 1/3 हिस्से का गलत इन्द्राज कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादी की आराजी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक रेकार्ड अनुसार वादी का वर्तमान राजस्व रिकार्ड तैयार नहीं किया है। वादी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

का रकबा साबिक अनुसार 50 एयर दर्ज करना चाहिए था परन्तु मात्र 35 एयर दर्ज किया है उसमें भी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 व 2 का दर्ज कर दिया गया है जो पूर्णतया गलत है एवं दुरूस्ती किए जाने योग्य है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम वर्तमान रिकार्ड से हजफ किए जाने योग्य है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम गलत रूप से दर्ज हो जाने के कारण वे इसका अवैधानिक व अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तथा उनके नाम गलत रूप से दर्ज भूमि को बिना किसी अधिकार के दीगर लोगों को रहन बय करना चाहते हैं। दिनांक 23.8.06 को प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने वादी को धमकी दी है कि वे उनके नाम दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के आधिपत्य के साबिक ख0नं0 716/5 रकबा 2 बीघा एवं वर्तमान ख0नं0 1821 स्थित ग्राम टोकसी काबिज रकबा 50 एयर के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें। वादी की आराजी साबिक ख0नं0 716/5 ग्राम टोकसी की वर्तमान जमाबंदी में से प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम हजफ कर वर्तमान ख0नं0 1821 रकबा 35 एयर के स्थान पर 50 एयर घोषणां कर दुरूस्ती की डिक्री बहक वादी फरमाई जावे तथा प्रतिवादी सं0 3 को आदेश फरमाया जावे कि वह तदनुसार वादी की आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल आदि में दुरूस्ती करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः प्रतिवादी नं0 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने जबाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी भूमि का जो 15 एयर रकबा कम दर्ज किया गया है उसे भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा रास्ते में दर्ज कर दिया गया है तथा मौके पर रास्ता मौजूद है तथा कुछ रकबा हाल ख0नं0 1816/1 में दर्ज कर दिया है। वादी द्वारा उन व्यक्तियों के विरूद्ध दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिनके नाम वादी का रकबा लगाया गया है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध गलत दावा प्रस्तुत कर दिया है जबकि प्रतिवादीगण के साबिक ख0नं0 716/3 का रकबा ख0नं0 1821 में दर्ज कर दिया है इसलिए इसमें प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज कर दिया है तथा साबिक की भांति ही पुरानी डोल मेंड बनी हुई है, प्रतिवादीगण का कब्जा साबिक की भांति चला आ रहा है। वादी का ख0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

नं0 1821 पर कब्जा नहीं है। इस आधार पर वादी का दावा खारिज होने योग्य है। ख0नं0 1821 में दर्ज प्रतिवादीगण के 1/3 हिस्से से वादी का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब का जबाब उल जबाब वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि का रकबा रास्ते में दर्ज करने का तथ्य गलत अंकित किया है। मौके पर किसी प्रकार का रांस्ता मौजूद नहीं है। वादी का मौके पर 2 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। भू–प्रबन्ध विभाग ने वादी के साबिक रकबा 2 बीघा के बदले में 35 एयर भूमि जो दर्ज की है वह गलत है तथा इसमें प्रतिवादीगण का हिस्सा भी गलत अंकित किया है। प्रतिवादीगण के साबिक ख0नं0 716/3 का रकबा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल ख0नं0 1813, 1814 में शामिल किया है। ख0नं0 1821 का रकबा 35 एयर के स्थान पर साबिक अनुसार वादी का 50 एयर रकबे पर कब्जा चला आ रहा है। वादी का दावा डिक्री किए जाने योग्य है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 716/5 रकबा 2 बीघा ग्राम टोकसी वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादी निरन्तर काबिज चला आ रहा है। ——वादी

2. आया भू–प्रबन्ध के दौरान ख0नं0 716/5 रकबा 2 बीघा का नया नम्बर 1821 रकबा 35 एयर बनाया गया है जो साबिक रकबे से 15 एयर कम है एवं ख0नं0 1821 में प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 1/3 हिस्सा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है जबकि ख0नं0 1821 पर पूरे पर वादी काबिज चला आ रहा है। ——वादी

3. आया वादी के साथ प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिए जाने के कारण दि0 23.8.06 को प्रतिवादीगण ने भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। ——वादी

4. आया वादी ख0नं0 1821 का रकबा 50 एयर दर्ज कराने, ख0नं0 1821 में से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। ——वादी

5. आया वादी का रकबा रास्ते में व कुछ रकबा हाल ख0नं0 1816/1 में शामिल कर दिया गया है, वादी ने प्रोपर व्यक्तियों के खिलाफ दावा पेश नहीं

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

किया है, प्रतिवादीगण के साबिक ख0नं0 716/3 का रकबा ख0नं0 1821 में दर्ज कर दिया गया है। ——प्रति0 1, 2

6. आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है एवं दावा वादी चलने योग्य नहीं है। ——प्रति0 1, 2

7. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2032 से 2035 प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2032 से 2035 प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–6 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी कलुआ पी0डब्लू0 1, बयान गवाह प्रेमचंद पी0 डब्लू0 2, बयान गवाह देवीशंकर मीना पी0डब्लू0 3 कराए हैं।

जबाब दावा के समर्थन में प्रतिवादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 खाता वादी कलुआ, खाता प्रतिवादी रामसहाय वगैरा, खाता मुनीम वगैरा, खाता राजकीय भूमि चरागाह, नकल जमाबंदी सं0 2028 से 2031 खाता परभाती, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल हाल नक्शा ट्रेस,नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु बार बार अवसर दिए गए परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं दिनांक 4.9.2019 को प्रतिवादीगण एवं उनके वकील हाजिर अदालत नहीं हुए अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस विद्वान वकील वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकीवाइज निर्णय निम्न प्रकार है–

तनकी नं0 1:–आया भूमि साबिक ख0नं0 716/5 रकबा 2 बीघा ग्राम टोकसी वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादी निरन्तर काबिज चला आ रहा है। ——वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2032–35 प्रदर्श–2 के अनुसार भूमि साबिक ख0 नं0 716/5 रकबा 2 बीघा वादी कलवा पुत्र श्यामलाल कौम कुम्हार की खातेदारी में दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सं0 2032–35 प्रदर्श–3 के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि पर वादी की काश्त दर्ज है। इस अभिलेख से

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

भूमि साबिक ख0नं0 716/5 रकबा 2 बीघा वादी की खातेदारी व कब्जे कास्त की भूमि होना प्रमाणित है। इस प्रकार तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में प्रमाणित है एवं इसी अनुसार वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:—आया भू—प्रबन्ध के दौरान ख0नं0 716/5 रकबा 2 बीघा का नया नम्बर 1821 रकबा 35 एयर बनाया गया है जो साबिक रकबे से 15 एयर कम है एवं ख0नं0 1821 में प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 1/3 हिस्सा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है जबकि ख0नं0 1821 पर पूरे पर वादी काबिज चला आ रहा है। ——वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। नकल मिलान केफ़्यत प्रदर्श—4 के अनुसार साबिक ख0नं0 716/5 रकबा 2 बीघा का नवीन ख0नं0 1821 रकबा 35 एयर बना है। साबिक ख0नं0 716/5 के साबिक रकबा 2 बीघा से नवीन रकबा 50 एयर बनना चाहिए था परन्तु नवीन ख0नं0 1821 में इसे 35 एयर का ही बनाया गया है जो साबिक रकबे से 15 एयर कम है। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा ख0नं0 1821 को वादी कलवा हिस्सा 2/3 व प्रतिवादी रामसहाय, रामदयाल हिस्सा 1/3 की खातेदारी में दर्ज किया गया है जो नकल जमाबंदी सं0 2059—62 प्रदर्श—1 से स्पष्ट है। वादी को उसके साबिक़ रकबा 2 बीघा के मुकाबले 50 एयर भूमि नवीन नम्बर में मिलनी चाहिए थी परन्तु भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा मात्र 35 एयर भूमि ही नवीन नम्बर में दी गई है। इस प्रकार भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी को उसके साबिक रकबे से 15 एयर भूमि कम दी गई है एवं इस भूमि में प्रतिवादी रामसहाय, रामदयाल का 1/3 हिस्सा भी गलत दर्ज किया गया है क्योंकि साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के मिलान से भी वादी की भूमि ख0नं0 1821 में प्रतिवादी रामसहाय, रामदयाल की भूमि मिलना नहीं पाया जाता है। हालांकि प्रतिवादी रामसहाय, रामदयाल ने अपने जबाब में ख0नं0 1821 में 1/3 हिस्से पर उनका कब्जा होना बताया है परन्तु उन्होने अपने कथन को अभिलेख से अथवा मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। इसके विपारीत वादी द्वारा प्रस्तुत मौख़िक साक्ष्य व गवाहों के बयानों से भूमि ख0नं0 1821 रकबा 35 एयर पर वादी ही कब्जा प्रमाणित है। इसलिए ख0नं0 1821 में 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी रामसहाय, रामदयाल का कब्जा नहीं माना जा सकता है। अतः इस विवरण के अनुसार अभिलेख से तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में प्रमाणित होती है एवं इसी अनुसार वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

तनकी नं0 3:—आया वादी के साथ प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिए जाने के कारण दि0 23.8.06 को प्रतिवादीगण ने भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। ——वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किए कथन से एवं प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम के रूप में प्रस्तुत जबाब दावा से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की वादी को धमकी दी इसी कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पडा है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में होने से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 :—आया वादी ख0नं0 1821 का रकबा 50 एयर दर्ज कराने, ख0नं0 1821 में से प्रतिवादीगण का नाम हजफ कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। ——वादी

तनकी नं0 1 लगायत 3 में किए गए विवेचन एवं इनके निर्णय से वादी ख0नं0 1821 में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5:—आया वादी का रकबा रास्ते में व कुछ रकबा हाल ख0नं0 1816/1 में शामिल कर दिया गया है, वादी ने प्रोपर व्यक्तियों के खिलाफ दावा पेश नहीं किया है, प्रतिवादीगण के साबिक ख0नं0 716/3 का रकबा ख0नं0 1821 में दर्ज कर दिया गया है। ——प्रति0 1, 2

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को प्रमाणित करने हेतु प्रतिवादीगण ने कोई अभिलेख अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अभिलेख से प्रमाणित नहीं किए जाने के कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6 :—आया वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है एवं दावा वादी चलने योग्य नहीं है। ——प्रति0 1, 2

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को प्रमाणित करने हेतु प्रतिवादीगण ने कोई अभिलेख अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत वादी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा प्रमाणित होता है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित नहीं किए जाने के कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 7:—अनुतोष ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

कलुआ वगैरा बनाम रामसहाय वगैरा, दावा

वादी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख, मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवाइज किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादी भूमि ख0नं0 1821 रकबा 35 एयर ग्राम टोकसी के सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने, इस खसरा नम्बर में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ करवाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 1821 रकबा 35 ग्राम टोकसी का वादी को सम्पूर्ण रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस नम्बर में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 1821 रकबा 35 एयर ग्राम टोकसी के कब्जे काश्त में वादी को किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें। खर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-2-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

बअदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

कलुआ पुत्र श्यामलाल,कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1. सियाराम पुत्र कलुआ, कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/2. रामधन पुत्र कलुआ, कुम्हार निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/3. किस्तूरी पुत्री कलुआ, कुम्हार निवासी कुडगांव तहसील सपोटरा
1/4. छोटी पुत्री कलुआ, कुम्हार निवासी नयागांव तहसील बामनवास
——वादीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र परभाती,जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुरसिटी (मृतक)
1/1. मोहरबाई बेवा रामसहाय, जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/2. राजाराम पुत्ररामसहाय, जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/3. सत्तीराम पुत्ररामसहाय, जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/4. बलराम पुत्र रामसहाय, जोगी निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
1/5. माया पुत्री रामसहाय पत्नी सियाराम, जोगी नि0 खेडला तह0 सपोटरा
1/6. बतासी पुत्री रामसहाय पत्नी जगदीश, जोगी नि0 बाडोती तह0सपोटरा
2. रामदयाल पुत्र परभाती जोगी, निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –164 / 2006

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ———मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 1821 रकबा 35 ग्राम टोकसी का वादी को सम्पूर्ण रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस नम्बर में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर सम्पूर्ण रकबे की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 1821 रकबा 35 एयर ग्राम टोकसी के कब्जे काश्त में वादी को किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10-2-2020 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा				
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची	
महनताना वकील			महनतानावकील पर	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय			बाबत इजराय	
हुक्मनामा			हुक्मनामा	
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक	
मीजान			मीजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.02.20 11:50:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: